श्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– कालुराम खौड आर.ए.एस

प्रकरण सं. 227/2015 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 5.3.2020

चूनीया उर्फ चून्नीलाल कटारा पिता जोतीया कटारा उम्र वयस्क निवासी कटारापाडा त. चिखली जिला डूँगरपूर :– वादी

बनाम

1. पूनीया पिता रावजी कटारा उम्र वयस्क
2. लालजी पिता रावजी कटारा उम्र वयस्क
3. खातू पिता रावजी कटारा उम्र वयस्क
4. कान्ति पिता लालजी कटारा उम्र वयस्क समस्त निवासी कटारापाडा त. चिखली डूँगरपूर
5. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिखली डूँगरपुर

प्रतिवादीगण

अधिवक्ताः– वादी की और से नरेश जोशी

प्रतिवादी की और से एक तरफा

(वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188,92ए,209 रा.टि.एक्ट)

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 188,92ए,209 रा.टि. एक्ट सपठित धारा 151 जा.दि इस न्यायालय मे पेश किया जिसमे उल्लेखित किया की वादी एवम प्रतिवादीगण एक ही गॉव के रहने वाले है वादी एवम अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कटारापाडा त. चिखली जिला डूँगरपूर मे स्थित है जिसका संवत 2069–2072 अनूसार विवरण निम्न है। खसरा नम्बर 677,678,679,681 होकर कूल रकबा 4 बिघा 3 बिस्वा है । आराजी नम्बर 677,678,679,681 को लेकर प्रतिवादीगण विवाद कर रहे हे वादी की भूमि पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण की धमकी दी जा रही है।वादी एवम अन्य सहखातेदारान का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त हे । वादी एवम अन्य सहखातेदारान ने अपनी भूमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तान्तरित नही की है। उसके बावजूद प्रतिवादीगण वादी एवम उसके परिवार से लडाई झगडा करने आमादा रहते है। तथा वादी की भूमि पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण की धमकिया दे रहे है तथा विवाद करते रहते है।वादी एवम् प्रतिवादीगण की अन्य शामलाती भूमि भी है ।प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन वादी की वाद ग्रस्त भूमि को लेकर विवाद किये जाने से वादी ने प्रतिवादी गण से कहॉ कि वह अकारण विवाद नही करे तथा अन्य जो शामलाती भूमि है उसका बटवाडा करा लेवे ताकि सभी पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से काश्त कर सके

Scanned with CamScanner

जिस पर दिनांक 29/7/2015को प्रतिवादीगण हाथो मे लठ पत्थर धारिये तथा साथ मे हल लेकर आये तथा वादी की वाद ग्रस्त आराजी नम्बर 677 की भूमि मे अनाधिकृत प्रवेश कर ओर वादी की भूमि मे खेडने का प्रयास किया जिसका वादी द्वारा विरोध किया गया तो प्रतिवादीगण वापस अपने घर चले गये। वादी द्वारा सहायता के रूप मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाही और निवेदन किया कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के खिलाफ इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी एवम अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त की भूमि जिसका वर्णन वाद के कालम सं. 2 में किया है पर वादी तथा अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न करे वादी या अन्य सहखातेदारान को तंग परेशान न करें वादी तथा उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि मे बुवाइ जुताइ ' शांतिपूर्ण ढंग से करने दे की जाने वाली व की गई फसल को नुकसान नही पहुचावे व फसल को काटकर चुराकर न ले जावें पशुओ से न खिला देवे । वादी की भूमि में किसी प्रकार के कब्जा , अतिक्रमण ,निर्माण, काश्त कार्य मे अवरोध पैदा न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे ।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि उनका वादी की भूमि से कोई सरोकार नही है तथा उनके द्वारा वादी की भूमि मे अनाधिकृत प्रवेश नही किया जा रहा है।

वादी की साक्ष्य से पूर्व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे हिदायत पैरवी नही होना जाहिर किया जिस पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफ कार्यवाही अमल मे लाये जाने आदेश पारित किया गया ।

प्रकरण मे वादी द्वारा स्वयं को साक्ष्य मे प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी प्रदर्श एक को प्रदर्शित करवाया गया ।

प्रकरण मे बहस समायत की गई ।बहस सूनी गई तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया ।

प्रकरण मे इस बात को देखा जाना है कि क्या ? वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

प्रकरण मे प्रदर्शित कराये गये दस्तावेज प्रदर्श एक से यह प्रमाणीत होता है कि वाद ग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी की होकर उनका नाम अंकित है तथा प्रतिवादीगण का नाम अंकित नही हे । एसी परिस्थति मे मेरी विनम्र राय मे यह उचित होगा की वादी को प्रतिवादीगण से संरक्षण प्रदान किया जावे ताकि वादी एवम् उनका परिवार शांतिपूर्ण ढंग से काश्त कर सके।

d

Scanned with CamScanner

:: आदेश ::

प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के खिलाफ इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि कि प्रतिवादीगण वादी व सहखातेदारान के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कटारापाडा त. चिखली जिला डूँगरपूर मे स्थित है जिसके खसरा नम्बर 677,678,679,681 होकर कूल रकबा 4 बिघा 3 बिस्वा है मे वादी तथा अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न करे वादी या अन्य सहखातेदारान को तंग परेशान न करें वादी तथा उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि मे बूवाई जूताई शांतिपूर्ण ढंग से करने दे की जाने वाली व की गई फसल को नूकसान नही पहूचावे व फसल को काटकर चूराकर न ले जावें पशूओ से न खिला देवे । वादी की भूमि में किसी प्रकार के कब्जे अतिक्रमण निर्माण न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे ।

कालुराम खौड
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

आदेश खूले न्यायालय मे आज दिनांक 5.3.2020 को सूनाया गया।

कालुराम खौड
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.19 13:05:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: